Equal Pay for Equal Work

53 SH. NEERAJ SHARMA, M.L.A. (Faridabad NIT)

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that the equal pay for equal work is being given to the employees under the out-sourcing policy part-2 in the Haryana State;

b) If so, the time since when the said salary is being given; if not, the reasons therefor; and

c) Whether the annual increment is being given to the part-2 employees after the implementation of equal pay for equal work; if so, the name of the departments in which it being given; if not, whether it is justified not to give annual increment?

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

Sir,

a) 'Equal pay for equal work' is being given to the employees engaged under the Outsourcing Policy Part-II in Haryana vide Government instructions No. 16/36/2016-3GS-II, dated 03.11.2017.

b) 'Equal pay for equal work' is being given to the employees engaged under Outsourcing Policy Part-II since 01.11.2017.

c) TheSupreme Court of India has directed vide order dated 26 October, 2016 to grant minimum of the pay scale andthe same has been implemented by the Government of Haryana vide instructions dated 03.11.2017. In the said direction, no reference of annual increment has been made by the Supreme Court. Engagement under Outsourcing Policy has been discontinued vide Government instructions No. 16/7/2015-3GS-II, dated 28.09.2021. Apart from this, Government has notified a new policy'viz "Deployment of Contractual Persons Policy, 2022" vide notification No. 16/91/2021-3GS-II, dated 30.06.2022,to deploy contractual persons against the Job Roles of Group C & D employees through Haryana Kaushal Rozgar Nigam (HKRN).

समान काम के लिए समान वेतन

53 श्री नीरज शर्मा, एम0एल0ए0 (फरीदाबाद, एन0आई0टी0):

क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

ए) क्या यह सच है कि हरियाणा राज्य में आऊटसोर्सिंग नीति भाग–।। के तहत कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जा रहा है ;

बी) यदि हाँ, तो उक्त वेतन कब से दिया जा रहा है। यदि नही, तो उस के कारण; और

सी) क्या समान काम के लिए समान वेतन लागू होने के बाद पार्ट–।। कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जा रही है; यदि हाँ, तो उन विभागो के नाम जिनमें यह दिया जा रह है; यदि नही, तो क्या वार्षिक वृद्धि न देना न्यायोचित है।

मनोहर लाल, मुख्यमन्त्री

श्रीमान् जी,

ए) 'समान काम के लिए समान' वेतन हरियाणा में आऊटसोर्सिंग नीति भाग–।। के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सरकार की हिदायतें क्रमांक 16/36/2016–3जी0एस0–।। दिनांक 03.11.2017 के तहत दिया जा रहा है।

बी) दिनांक 01.11.2017 से आऊटसोर्सिंग नीति भाग–।। के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को 'समान काम के लिए समान' दिया जा रहा है।

सी) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 26 अक्तूबर, 2016 द्वारा न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने के निर्देश दिये है और इसे हरियाणा सरकार द्वारा हिदायते दिनांक 03.11.2017 के तहत लागू किया गया है। उक्त निर्देश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि का कोई सन्दर्भ नही दिया गया है। सरकार की हिदायतें क्रमांक 16/7/2015–3जी0एस0–।। दिनांक 28.09.2021 द्वारा आऊटसोर्सिंग नीति के तहत नियुक्ति को बन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अधिसूचना क्रमांक16/91/2021–3जी0एस0–।।, दिनांक 30.06.2022 द्वारा ग्रुप ग एवं घ की रोजगार सूची के विरूद्ध हरियाणा कौशल रोजगार निगम (ह0कौ0रो0नि0) के माध्यम से अनुबंधित व्यक्तियों को तैनात करने के लिये एक नई नीति अर्थात् ''अनुबंधित व्यक्तियों की तैनाती नीति, 2022'' को अधिसूचित किया है।